भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 262
गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय संपर्क योजना मार्गों के लिए पुनः बोली लगाना

***262. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:**
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) मार्गों के लिए पुनः बोली लगाने के लिए एक वर्ष की समय-सीमा मार्ग के लिए संविदा अवार्ड किए जाने से लागू होती है अथवा उस मार्ग पर प्रचालन बंद होने के बाद लागू होती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा राजसहायता अवधि के बाद भी आरसीएस मार्गों पर सेवाएं बनाए रखने के लिए विमान कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किए गए/शुरू किए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहनों अथवा सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या 225 आरसीएस मार्गों पर प्रचालन बंद हो गया है और यदि हां, तो सरकारी सहायता के बावजूद विमान कंपनियों द्वारा सेवाएं बंद करने के मुख्य कारण क्या हैं; और
(घ) सरकार की ऐसी हवाई पट्टियों, जिनका अल्प-उपयोग हो रहा है तथा जिनका आरसीएस योजना के अंतर्गत पुनरुद्धार किया गया है किन्तु अब उपयोग नहीं किया जा रहा है, का पुनः उपयोग करने अथवा उनके अन्य उपयोग हेतु क्या योजना है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"क्षेत्रीय संपर्क योजना मार्गों के लिए पुनः बोली लगाना" के संबंध में श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 18.12.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 262 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-यूडीएएन) मार्गों के लिए पुन: बोली लगाने हेतु आवश्यक न्यूनतम अवधि उस मार्ग पर उड़ान परिचालन बंद होने के बाद लागू होती है।
इस संबंध में पुन: बोली प्रक्रिया के चरण शुरु होने से पूर्व अंतिम दो अनुसूचियों को न्यूनतम अवधि माना जाता है। यदि इन दो अनुसूचियों में मार्ग उपलब्ध हैं, तो वे बोली लगाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

मौजूदा योजना प्रावधानों के अनुसार आरसीएस योजना के कार्यकाल के बाद एयरलाइनों को कोई प्रोत्साहन या सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ग): अब तक विभिन्न कारणों से 123 आरसीएस मार्गों को बंद किया जा चुका है और इन कारणों में शामिल हैं, कोविड-19 महामारी, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों के कारण कई विमानों की ग्राउंडिग, एयरलाइनों का बंद होना, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, विमान रखरखाव, हवाईअड्डे/रनवे रखरखाव और अन्य एयरलाइन को मार्गों का संविदात्मक अधिकार सौंपना और कम यात्री मांग जैसे व्यवधान।

(घ): क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान एक सतत योजना है जिसमें योजना के तहत अधिक गंतव्यों और मार्गों को कवर करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया के चरण आयोजित किए जाते हैं। 'उड़ान योजना' के तहत पुनरुद्धार और कार्यशील किए गए असेवित हवाईअड्डे जो गैर-प्रचालनिक हो गए हैं, उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार पुन: बोली लगाने के लिए शामिल किया है।

इसके अलावा, सरकार ने अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने हेतु और देशभर के 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना आरंभ करने की घोषणा की है। यह योजना पर्वतीय, द्वीप (आइसलैंड), उत्तर पूर्वी और आकांक्षी जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाईअड्डों को भी सहयोग प्रदान करेगी।

*****